

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जी.सी.एम.एस संख्या 2024 / 572

- 1 मन्दिर श्री जानकीनाथ वाके किशनगढ रेनवाल जरिये पुजारी / व्यवस्थापक / प्रन्यासी रामस्वरूप शर्मा मन्दिर जानकीवल्लभ जी ट्रस्ट।

—अपीलान्ट

बनाम

1. छोटी पत्नी मंगला जाति कुमावत निवासी ग्राम रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज0।
3. बुद्धा पुत्र मंगला जाति कुमावत निवासी ग्राम रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राजस्थान।
4. लाला पुत्र मंगला जाति कुमावत निवासी ग्राम रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राजस्थान।
5. बंशी पुत्र मंगला जाति कुमावत निवासी ग्राम रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राजस्थान।
6. भूरी पुत्री मंगला जाति कुमावत निवासी ग्राम रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राजस्थान।
7. शांति पुत्री मंगला जाति कुमावत निवासी ग्राम रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राजस्थान।
8. रामा पुत्री मंगला जाति कुमावत निवासी ग्राम रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राजस्थान।
9. संतोष पुत्री मंगला जाति कुमावत निवासी ग्राम रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर निर्णय दिनांक 08.11.2024 प्रकरण संख्या 15/2022 उनवानी छोटी बनाम राज0 सरकार जिसके द्वारा अपीलार्थी रेस्पो0 संख्या 1 की अपील स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण संख्या 2561 दिनांक 26.07.2007 को अपास्त फरमाया गया।

संभागीय आयुक्त
उपस्थित—

1. श्री सुधीर शुक्ला, वकील अपीलान्ट
2. श्री सुरेश कुमार चाहर वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 3 से 9 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता 2 की ओर से।

अपील जी.सी.एम.एस संख्या 2025/86

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज0।

—अपीलान्त

बनाम

1. छोटी पत्नी मंगला
2. बुद्धा पुत्र मंगला
3. लाला पुत्र मंगला
4. बंशी पुत्र मंगला
5. भूरी पुत्री मंगला
6. शांति पुत्री मंगला
7. रामा पुत्री मंगला
8. संतोष पुत्री मंगला समस्त जाति कुमावत निवासी ग्राम रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर निर्णय दिनांक 08.11.2024 प्रकरण संख्या 15/2022 उनवानी छोटी बनाम राज0 सरकार।

उपस्थित—

1. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता 2 की ओर से।
2. श्री सुरेश कुमार चाहर वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 8 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—16.04.2025

1. उक्त दोनो अपीलें राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर के निर्णय दिनांक 08.11.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। दोनो अपीलों में विषयवस्तु, कानूनी बिन्दू एवं अपीलाधीन आदेश समान होने से निर्णय एक साथ किया जा रहा है।
2. प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर के समक्ष ग्राम रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खसरा नंबर 485, 486, 488, 489, 490 के संबंध में नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा माफी मंदिर श्री जानकीलाल जी के नाम खोले गये नामान्तरकरण संख्या 2561 दिनांक 26.07.2007 को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2561 दिनांक 26.07.2007 को निरस्त करते हुये पूर्व प्रवृष्टियों को यथावत बहाल रखा जाकर तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को विरासत अनुसार खातेदारी राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने हेतु आदेश दिनांक 08.11.2024 को दिये गये।

श्री जयजीव जयपुर
वकील

- 3 अति० जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 08.11.2024 से व्यथित होकर अपीलान्त मन्दिर श्री जानकीनाथ एवं तहसीलदार द्वारा यह दोनो अपीलें प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अति० जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.11.2024 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेण्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीगो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 ने नामान्तरण संख्या 2561 दिनांकित 26.07.2007 को लगभग 15 वर्षों के उपरान्त अपील प्रस्तुत कर चुनौती दी गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष समस्त तथ्य मिथ्या और बनावटी अंकित किये है। वास्तविकता यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उक्त अपील स्वयं को पूर्व खातेदार डालू पुत्र श्री दुला की वारीस होने का कथन कर प्रस्तुत की है जिसमें उसके द्वारा जानबूझकर अपने पुत्र एवं पुत्रियों को तरतीबी पक्षकार के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 8 के रूप में संयोजित किया है। जबकि प्रत्यर्थी द्वारा स्वयं को डालू पुत्र श्री दुला के एकमात्र विधिक वारीस होना बताकर न्यायालय सहायक कलेक्टर सांभरलेक जिला जयपुर के समक्ष घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिए एक वाद उनवानी बुद्धाराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य वाद संख्या 63/2011 दिनांक 05/05/2011 को प्रस्तुत कर अपीलार्थी मन्दिर विराजमान के नाम दर्ज खातेदारी को चुनौती दी गई। जिसे न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण विचारण के उपरान्त वादीगण/प्रत्यर्थी की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर उक्त वाद को अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 18/06/2012 के द्वारा खारिज फरमा दिया गया। अर्थात् उनके द्वारा उक्त भूमि गें ना तो डालू पुत्र श्री दुला के कोई अधिकार होना माना और ना ही उनके वारीसान के कोई अधिकार होना माना गया। इसके उपरान्त रेस्पोंडेण्ट्स द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक नियमित अपील उनवानी बुद्धाराम व अन्य बनाम राजस्थान प्रस्तुत की। उक्त अपील संख्या 438/2012 को राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर (केम्प कोर्ट दूदू) के द्वारा मैरिट पर उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांकित 10/04/2014 के द्वारा खारिज फरमा दिया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध उच्चतर न्यायालय में कोई चाराजोही नहीं की गई जिससे उक्त निर्णय अंतिमता को प्राप्त हो चुका है। जिससे उक्त विवाद्यक का भी अंतिम रूप से निस्तारण हो चुका है कि वादग्रस्त भूमि में डालू पुत्र श्री दुला के वारीसान के कोई हक अधिकार नहीं है। इस प्रकार उक्त निर्णय अंतिम हो जाने के उपरान्त रेस्पोंडेण्ट्स की नियत में फितूर आ जाने के कारण उनके द्वारा सर्वप्रथमतः तो पूर्व में प्रस्तुत अपील और उसके खारिज होने के तथ्यों को छुपाते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 18/06/2012 के विरुद्ध गलत तथ्य अंकित करते हुए पुनः एक अपील प्रस्तुत कर दी जिसकी जानकारी होने पर अपीलार्थी/प्रार्थी के द्वारा उक्त अपील में प्रस्तुत होकर आपत्ति पेश किये जाने पर उक्त अपील संख्या 38/2022 वउनवानी बुद्धाराम बनाम राजस्थान सरकार को विद्वा के आधार पर खारिज करवा लिया। अपने इस प्रयास में कामयाब नहीं होने पर उनके द्वारा पुनः मन्दिर की उक्त भूमि को ऐनकेन हड़पने के लिए दुरभिसंधि कर उक्त भूमि के सम्बंध में अपनी माता प्रत्यर्थी संख्या 1 से एक अपील अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अति० जिला कलक्टर तृतीय जिला जयपुर के

नैजातीय जायुस्त
वयनर

समक्ष प्रस्तुत करवाई। जिसमें स्वयं को तरतीबी प्रत्यर्थी के रूप में संयोजित किया गया। यहाँ यह कथन किया जाना भी उचित होगा कि पूर्व में प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 4 के द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 38/2022 में जो अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 4 के थे वहीं प्रश्नगत अपील में प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता रहे हैं। जिससे उक्त तथ्य पूर्णतया प्रमाणित होता है कि प्रत्यर्थीगण ने उक्त अपील आपस में षडयंत्र करते हुए प्रस्तुत की है। जिन्हे पूर्व के दावों के सम्बंध में पूर्ण जानकारी रही है। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण की जानकारी स्वीकृत रूप से दिनांक 05/05/2011 से पूर्व से रहना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रकट और स्थापित होता है। इसके बावजूद प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर तथा नामान्तरकरण की जानकारी तथाकथित रूप से दिनांक 16-08-2022 को होने का कथन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जो मात्र मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य थी।

वकील अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसेडिंग है जिससे किसी प्रकार के कोई खातेदारी अधिकार प्रोदभुद नहीं होते। नामान्तरकरण केवल फिस्कल एंटी है। माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा अपने अनेको निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि किसी भूमि के सम्बंध में राजस्व न्यायालय में राजस्व वाद विचाराधीन हो, जिसमें पक्षकारान के अधिकारों का निर्धारण होना शेष हो तो ऐसे में नामान्तरकरण जैसी फिस्कल प्रोसेडिंग को स्थगित रखा जाना चाहिए क्योंकि खातेदारी अधिकारों का निर्धारण केवल उक्त वाद के द्वारा ही किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में डालू वल्द दुला के वारीसान के द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद में वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में खातेदारी अधिकारों का निर्धारण अंतिम रूप से किया जा चुका है। जिसमें उक्त भूमि का डालू वल्द दुला के वारीसान से कोई सरोकार नहीं माना है बल्कि उक्त भूमि शाश्वस्त नावालिंग मन्दिर श्री जानकीनाथ के खातेदारी की होना माना है। उक्त डिक्री व निर्णय के सम्बंध में उच्चतर न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने की मियाद खत्म हो जाने से उक्त निर्णय भी अंतिम हो चुका है। ऐसे में नियमित राजस्व वाद के निर्णय को नामान्तरकरण की कार्यवाही में किसी भी प्रकार से चुनौति नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद प्रत्यर्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से उक्त समस्त तथ्यों को छुपाते हुए पारित करवाया गया निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। स्वीकृत रूप से वादग्रस्त आराजी मन्दिर श्री जानकीनाथ जी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। इसके बावजूद ना तो प्रत्यर्थी संख्या-1 के द्वारा मन्दिर श्री जानकीनाथ को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया और ना ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को मन्दिर को पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने का निर्देश दिया जबकि ऐसा किया जाना विधिक रूप से आज्ञापक था। यहाँ यह कथन किया जाना भी उचित होगा कि भूमि माफ़ी मन्दिर श्री जानकीलाल जी बाकें रेनवाल तहसील किशनगढ़-रेनवाल के नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकित रही हैं। मन्दिर श्री जानकी वल्लभी जी ग्राम किशनगढ़ रेनवाल, तहसील फुलेरा जिला जयपुर का निर्माण 150-200 वर्ष पूर्व पंडित बलदेव जी जोशी द्वारा करवाया गया था एवं उसकी सेवा पूजा, मेला उत्सव, भजन कीर्तन इत्यादि की व्यवस्था मन्दिर श्री जानकी वल्लभ जी प्रन्यास द्वारा की जा रही हैं एवं कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर खण्ड, जयपुर से राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत पंजीयन किया जाकर दिनांक 25.07.2011 को प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किया जा चुका है। प्रार्थी रामस्वरूप शर्मा उपरोक्त प्रन्यास के अन्तर्गत संचालित मन्दिर श्री जानकी वल्लभ जी का अध्यक्ष होने

रामस्वरूप शर्मा
* 4 5 2

से एक हितवद्ध व्यक्ति हैं क्योंकि विवादित खसरा न भूमि उपरोक्त प्रत्यास की अचल सम्पत्ति हैं। ऐसी सूरत में वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में लम्बित प्रकरण में मन्दिर आवश्यक एवं हितवद्ध पक्षकार रहने के कारण प्रत्यर्थी संख्या- 2 ता 4 के द्वारा प्रस्तुत पूर्व वाद में भी प्रार्थी को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं करने पर प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के अधीन प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होना मानते हुए पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया। इतना ही नहीं स्वयं प्रत्यर्थी संख्या-1 के द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष प्रार्थना पत्र बउनवानी छोटी देवी बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण संख्या 76/2022 पेश किया जिसमें भी प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के अधीन प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होना मानते हुए पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया। जो भी अन्ततः प्रत्यर्थी संख्या-1 के द्वारा अदम हाजिरी में खारिज करवा दिया। इन सबके बावजूद प्रत्यर्थी संख्या-1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण के आवश्यक एवं हितवद्ध पक्षकार को संयोजित नहीं किया गया ताकि बाला-बाला न्यायालय को मुगालते में रखकर आदेश प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार रिकार्ड्ड खातेदार को पक्षकार के रूप में संयोजित किये बिना और उसे अपना पक्ष प्रदर्शित करने का कोई अवसर दिये बिना पारित उक्त निर्णय सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या -1 के द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र में नमान्तकरण आदेश को 15 वर्षों के उपरान्त पेश किये जाने से उक्त अपील प्रथम दृष्ट्या समय बाधित होने से उक्त अपील केवल मियाद के विन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में मियाद के विन्दू के बावत किसी भी प्रकार का संतोषप्रद विवेचन मात्र भी किये बिना उक्त अपील को अन्दर मियाद समाप्त फरमाकर निर्णय फरमाया है, जो कि आज्ञापक विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमियां मंदिर के नाम या जरिये पुजारी खुदकाशत के रूप में दर्ज थी उन्हें तहसीलदार के द्वारा नियमानुसार पुनः मंदिर के नाम दर्ज किया गया है। जिसके सम्बंध में प्रत्यर्थीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद में भी सक्षम न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री में स्वीकार किया है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिसकी भूमियों पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति० जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर दिनांक 08.11.2024 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील किशनगढ़ रेनवाल व जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 485, 486, 488, 489, 490 संवत् 2011 से 2029 की राजस्व जमाबन्दी में अपीलार्थीया के श्वसुर डालू वल्द दुला कौम कुम्हार के नाम दर्ज रही। तत्पश्चात् संवत् 2059 से 2062 की राजस्व जनाबन्दी में अपीलार्थीया के श्वसुर के स्वर्गवास हो जाने से अपीलार्थीया के पति मंगला वल्द डालू के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया जैसा कि जमाबन्दी संवत् 2059-62 के खाता संख्या 401 में इन्द्राजात दर्ज है। इसी दौरान उक्त आराजीयात का नायब तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 2561 दिनाव 26.07.2007 माफी मंदिर श्री जानकीलाल जी के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त आराजीयात संवत् 2011 से 2029 भू-प्रबंध विभाग खतोनी के कॉलम संख्या 5 में डालू वल्द दुला के नाम अंकित थी। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार


किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर ने अपीलार्थीया को उनके हक व अधिकारों से मारुम करते हुए क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर रेस्पोडेण्ट्स को बिना सूचना, बिना सुने बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये अपीलार्थीन नामान्तरण संख्या 2561 दिनांक 28.07.2007 को माफी मंदिर श्री जानकीलाल जी सा० देह के नाम तरदीक कर दिया। अधीनस्थ छोटी देवी बनाम सरकार वगै० न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना तथा मौके पर कब्जा काश्त की जांच किये बिना उक्त अपीलार्थीन नामान्तरण तरदीक किया है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने पर खसरा नम्बर 485, 486, 488, 489, 490 रकबा 11 बीघा 7 बिसवा जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट की धारा 9 के तहत डालू वल्द दुला जाति कुम्हार जो काबिज काश्त था, के नाम खातेदारी दर्ज की गई, जिसका स्पष्ट उल्लेख भू-प्रबंध विभाग की खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2029 के कॉलम संख्या 5 में स्पष्ट है। उक्त वर्णित आराजीयात कभी भी माफी मंदिर जानकीलाल जी की खातेदारी अथवा खुद काश्त में दर्ज नहीं रही है बल्कि उक्त भूमि मन्दिर श्री जानकीलाल जी की जागीर की भूमि थी तभी रेस्पो० संख्या 1 के श्वसुर डालू उक्त भूमि के रिकॉर्डेड कृषक थे। माफी रिज्यूम हो जाने से उपभोक्ता के कॉलम से मंदिर का नाम हटा दिया गया तथा कृषक कॉलम नम्बर 5 में अंकित डालू पुत्र दुला के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ तथा डालू की मृत्यु के बाद रेस्पो० संख्या 1 के पति मंगला का नाम विधिक प्रक्रिया अपनाकर कानून व जांच पड़ताल करने के बाद दर्ज हुआ। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् सभी तथ्यों की जांच व रिकार्ड अवलोकन पश्चात् ही नामान्तरण संख्या 2561 दिनांकित 26.07.2007 को निरस्त करने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्मत हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलार्थीन आदेश दिनांक 08.11.2024 यथावत रखते हुये अपील अपीलांत खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। चूंकि अपीलांतस प्रभावित पक्षकार हैं जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना पक्षकार बनाये अपीलार्थीन आदेश पारित किया गया है ऐसे में प्रभावित पक्षकार होने से न्यायहित में अपीलांत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 3 लगायत 5 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक, जिला जयपुर के समक्ष घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिए एक वाद संख्या 63/2011 उनवानी बुद्धाराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य प्रस्तुत कर मन्दिर विराजमान के नाम दर्ज खातेदारी को चुनौती दी गई। जिसे न्यायालय के द्वारा विधिवत् उक्त वाद को अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 18/06/2012 के द्वारा खारिज फरमा दिया गया। जिसमें उनके द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि में मंगला पुत्र डालू व डालू पुत्र दूला कुम्हार का कोई अधिकार होना नहीं माना गया। इसके उपरान्त रेस्पोडेण्ट्स द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर (कैम्प कोर्ट दूदू) के समक्ष एक नियमित अपील संख्या 438/2012 उनवानी बुद्धाराम व अन्य बनाम राजस्थान प्रस्तुत की। जिसे भी राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर (कैम्प कोर्ट दूदू) के द्वारा गणावगुण पर उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांकित 10/04/2014 के द्वारा खारिज फरमा. दिया गया। तत्पश्चात् रेस्पोडेण्ट्स द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 18/06/2012 के विरुद्ध तथ्यों को छुपाते हुये पुनः एक अपील प्रस्तुत कर दी। उक्त अपील संख्या 38/2022 व उनवानी बुद्धाराम बनाम राजस्थान सरकार को नोट प्रेस के आधार पर खारिज करवा ली गई। अतः ऐसी स्थिति में सहायक कलक्टर सांभरलेक जिला जयपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 18/06/2012 अंतिम निर्णायक निर्णय रहा। अतः सहायक कलक्टर सांभरलेक जिला जयपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 18/06/2012 के आधार पर अपीलांत मन्दिर श्री जानकीलाल जी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। रेस्पोडेण्ट अगर चाहे तो सहायक कलक्टर

नैरातीय आयुक्त
जयपुर

सांभरलेक जिला जयपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 18/06/2012 के विरुद्ध अपने खातेदारी अधिकार तय कराने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। चूंकि नामान्तरकरण एक समरी कार्यवाही है इसके तहत खातेदारी अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरित जाकर अवैधानिक आदेश दिनांक 08.11.2024 पारित किये गये हैं। जो कि उचित एवं विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर का निर्णय दिनांक 08.11.2024 निरस्त किया जाता है तथा नायब तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल का नामान्तरकरण संख्या 2561 दिनांक 26.07.2007 को बहाल किया जाता है।



(पूनम),

संभागीय आयुक्त,
सांभर जयपुर
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



संभागीय आयुक्त,
सांभर जयपुर
जयपुर